निबंधित

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक..... पटना, दिनांक.....
5/सं0 अपील एम0एम0 क्राफ्ट)– 21/2015

प्रेषक,

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री विष्णु कान्त भारती,
प्रो0– मेटेलिक मिनी क्राफ्ट,
नियर–भारतीय स्टेट बैंक (बाजार शाखा),
स्टेशन रोड, नवादा,
बिहार, पिन– 805110

विषयः– **दायर अपीलवाद सं0– 21/2015 की सुनवाई के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री एम0एम0 क्राफ्ट बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4945 दिनांक 28/10/2016

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

28/X/16

# आ दे श फ ल क

## अपील संख्या 21/2015

## सर्वश्री मेटेलिक मिनी काफ्ट, नवादा

बनाम्

## प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

यह अपील मेसर्स मेटेलिक मिनी काफ्ट, नवादा द्वारा 'बियाडा' के आदेश ज्ञापांक 3666/डी0 दिनांक 08.09.07 जिसके द्वारा उनका आवंटन रद्द कर दिया गया है, के विरुद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित हैं। उभय पक्षों को सुना।

2– अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें वर्ष 1986 में उद्योग स्थापना हेतु एक सी0 श्रेणी का शेड आवंटित किया गया था। लगभग 25 वर्षों से उक्त शेड पर नियमित रुप से लगातार उद्योग कार्यरत है, जिसके अन्तर्गत स्टील अलमिरा, स्टील टेबुल, स्टील रैक आदि अन्य फर्निचरों का निर्माण होता है, जो आज तक कार्यरत है। जब–तक एरिया इन्चार्ज नवादा में रहते रहे, नियमित रुप से शेड एवं भू–खण्ड का निर्धारित किस्त जमा होता रहा तथा इकाई चालू रहने का मासिक प्रतिवेदन रिपोर्ट एरिया इन्चार्ज द्वारा बियाडा को प्रेषित होता रहा है। दीर्घावधि पश्चात् कार्यकारी निदेशक, बियाडा के पत्रांक 6845/डी0 दिनांक 12.11.12 को सूचित किया गया कि आपकी इकाई आवंटित शेड एवं भू–खण्ड को रद्द कर दिया गया है, जबकि कभी भी मेरी कार्यरत उद्योग का कैन्सिलेशन की कोई सूचना बियाडा या एरिया इन्चार्ज या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा मुझे नहीं दी गई, यदि मुझे किसी से सूचना दिया जाता तो मैं तत्काल साक्ष्य सबूत के साथ बियाडा में उपस्थित होकर असत्य बात से उन्हें अवश्य अवगत कराता, क्योंकि उद्योग ही हमारे परिवार का जीवन–मरण और आजीविका का एक मात्र साधन है।

3– बियाडा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इकाई को बियाडा के पत्रांक 238/डी0 दिनांक 08.02.96 द्वारा कुल 2500 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि आवंटन किया गया। इकाई को बियाडा के पत्रांक 2725/डी0 दिनांक 24.07.07 द्वारा कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया। इकाई से उत्तर अप्राप्त रहने पर पत्रांक 3666/डी0 दिनांक 08.09.07 द्वारा आवंटन रद्द कर दिया गया। बियाडा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पत्रांक 1049/डी0 दिनांक 06.02.08 द्वारा क्षेत्रीय प्रभारी को यह आदेश दिया गया कि रद्द शेड का स्वामित्व वापस लेकर सूचित करें। रद्द शेड एवं भूमि का स्वामित्व क्षेत्रीय प्रभारी द्वारा लिया गया या नहीं इसकी सूचना संचिका में नहीं है, लेकिन इकाई से प्राप्त पत्र से स्पष्ट होता है

कि शेड एवं भूमि का स्वामित्व इकाई के पास ही है। कलांतर में इकाई द्वारा समर्पित कागजात एवं जांचोपरांत यह स्पष्ट हुआ कि इकाई लगातार उत्पादन में रही है और इकाई द्वारा सम्पूर्ण बकाये राशि का भी भुगतान कर दिया गया है। बियाडा के 26वीं निदेशक पर्षद के निर्णय के आलोक में प्रस्तुत इकाई के रद्दीकरण को सैद्धान्तिक तौर पर सम्पुष्ट की गयी है।

4— बियाडा के पत्रांक 691/डी0, दिनांक01.02. द्वारा अपीलीय पदाधिकारी से प्रसांगिक इकाई का विखण्ड आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5— अपीलकर्ता के अपील आवेदन, बियाडा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिकथन एवं बियाडा के प्रबंध निदेशक के पत्राचार के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इकाई द्वारा लगातार उत्पादन कार्य किया जा रहा है एवं बकाये राशि का भी भुगतान किया गया है। ऐसी परिस्थिति में अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं बियाडा के आदेश ज्ञापांक 3666/डी0 दिनांक 08.09.07 को निरस्त किया जाता है।

21/10/2016
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

21/10/2016
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।